निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-64 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **निदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून** के माह 04/2017 से माह 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एफ.आर.खान, व.ले.प, श्री अंशुमन अग्रवाल, एवं श्री गोविन्द कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 23.07.2018 से 28.07.2018 एवं 13.08.2018 से 21.08.2018 तक श्री हिमांशु मणि, ले0 प0 अ0 के पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री गोविन्द सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 19.06.2017 से 07.07.2017 तक श्री के.एल.भट्ट वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें माह 01/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2017 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: पौड़ी, देहरादून व हरिद्वार का क्षेत्र तथा वन्य जीव संरक्षण का कार्य

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का **ब्यौरा** निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	155.54
2016-17	152.48
2017-18	207.35

(ii) (ब) **बजट** का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

₹ लाख में

वर्ष	स्थापना (` लाख में)		गैर स्थापना (` लाख में)		आधिक्य	बचत (-) ₹ स्थापना	बचत गैर स्थापना
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय			
2015-16	1232.20	3364.69	1132.20	3364.69	-	-	-
2016-17	1255.56	1087.11	1255.56	1007.11	-	-	-
2017-18	2012.06	1836.70	576.40	457.73	-	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है

वर्ष	योजना का नाम	प्रा0 अ0 (₹)	प्राप्त ₹	व्यय आधिक्य (+)	बचत(-)

इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **निदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु व्यय चयनित किया गया।

माह 06/2018 को विस्तृत जांच राजस्व हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो ....-.......

का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन .... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

व्यय से संबंधित

भाग- 2 ब

प्रस्तर-1 ठेकेदार को संविदापरप्राप्त मानवशक्तिके लिए अदा की गयी ई पी एफ धनराशि ₹48.67 लाख के जमा कराये जाने का सत्यापन न कराया जाना।

EPFO के पत्र संख्या CAIU/011(33)2015/HQ/Vol.II/28445 दिनांक 02 फरवरी 2018 में मुख्य नियोक्ता,जो कि ठेकेदारों के माध्यम से श्रमशक्ति प्राप्त करते हैं, के लिए निम्न दिशानिर्देशों का पालन करने का आदेश दिया गया था।:

1. मुख्य नियोक्ता को ठेका देने से पूर्व ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रम शक्ति देने वाला ठेकेदार EPFO के पास पंजीकृत है।ठेका देने के पश्चात ठेकेदार का विवरण EPFO पोर्टल में अंकित करवाना चाहिए।
2. ठेकेदार को देय राशियाँ तभी देनी चाहिए जब यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि समस्त भविष्य निधि की राशियाँ EPFO को भुगतान कर दी गयी हैं।यह तथ्य EPFO पोर्टल से सीधे सत्यापित किए जा सकतेहै अथवा इस के लिए ठेकेदार द्वारा EPFO को भुगतान करते समय जो रसीद generate होती है वह रसीद ठेकेदार से प्राप्त की जा सकती है।
3. यद्यपि ठेकेदार का प्रथकPFcode होता है तथापि ठेकेदार के माध्यम से लगाए गए समस्त कर्मचारियों के पी एफ़ भुगतान की सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी मुख्य नियोक्ता की ही होती है।

कार्यालय निदेशक राजाजी नेशनल पार्क,देहरादून की लेखापरीक्षा में पाया गया कि सम्पूर्ण लेखापरीक्षा अवधि 04/17 से 06/18 में ठेकेदार के माध्यम से प्रतिमाह 205 से अधिक कर्मचारियों को काम पर लगाया गया है एवं उक्त कर्मचारियों के पीएफ़ की राशि भी कार्यालय द्वारा उक्त ठेकेदारों को उपलब्ध करवाई गयी है तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया किकार्यालय द्वारा ठेकेदार को ठेका देने से पूर्व यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि ठेकेदार EPFO में पंजीकृत है की नहींतथा कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया गया कि ठेकेदार द्वारा उक्त पीएफ़ की राशि संबन्धित कर्मचारियों के पीएफ़ खाते में जमा की जा रही है अथवा नहीं फिर भी हर माह ठेकेदारों के भुगतान मय ईपीएफ़ राशि के किए जाते रहे। यह भी पाया गया कि उक्त ठेकेदारों का विवरण कार्यालय द्वारा EPFO पोर्टल में feed नहीं किया गया है जिससे कि ठेकेदारों द्वारा पीएफ़ भुगतान के अनुपालन की पुष्टि EPFO भी नहीं कर सकता है। साथ ही कार्यालय द्वारा ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध करवाए गए कर्मचारियों के पीएफ़ भुगतान का साक्ष्य कभी भी ठेकेदारों से नहीं मांगा गया।

अतः उपरोक्त के आलोक में लेखापरीक्षा द्वारा यह पुष्टि नहीं की जा सकती है कार्यालय द्वारा कर्मचारियों के पीएफ़ की जो राशि ठेकेदारों को भुगतान की गयी है वह EPFO के पास कर्मचारियों के संबन्धित खातों में जमा हुई है अथवा नहीं।यदि कर्मचारियों के उक्त खातों में पीएफ़ की राशि जमा नहीं हुई है तो भविष्य में इस की ज़िम्मेदारी कार्यालय को उठानी पड़ सकती है।

लेखापरीक्षा अवधि में संविदा संस्थान को कुल ₹30474326 का भुगतान किया गया है। जिस पर 4866750 EPF अंशदान बनता है। जो सविदा संस्थान द्वारा जमा किया गया है की पुष्टि संबंधी साक्ष्य सहित लेखापरीक्षा दल को कराने हेतु साक्ष्य कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं है।इसके अतिरिक्त मानव संसाधन प्रदान करने में प्राप्त बिड़ के तुलनात्मक विवरण में उज्जवल कांट्रैक्ट सोसाइटी ने सर्विस चार्ज में .01% न्यूनतम दर के कारण ठेका प्रदान किया गया है। इतनी कम दर पर कार्य का ठेका लेना असामान्य प्रतीत होता है।तथा साथ ही ठेकेदार कंपनी द्वारा ESI व servicetax भी जमा किया जा रहा है कि नहीं की भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

इस पर लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अवगत कराया कि EPF,ESI व SERVICETAX ठेकदार द्वारा जमा कराया जा रहा है कि नहीं के संबंध में ठेकेदार से साक्ष्य लेकर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- 2 ब

प्रस्तर-2 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कार्य न किया जाना।

(क) उत्तराखण्डअधिप्राप्ति (संशोधन) नियमावली 2017 के नियम 35 के अनुसार ढाई लाख से अधिक धनराशि की समग्रियों की धनराशि की खरीद ई प्रॉक्यूरमेंट प्रक्रिया से किया जाएगा।

कार्यालय निदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून की D-2 (स्टॉक रजिस्टर) पंजिका की जांच में पाया गया कि प्रभाग द्वारा ₹1467790 मूल्य के 74 cuddeback C1/X change WF camera का क्रय बिल स. 066,078, एवं 079 द्वारा दिनांक 20.02.2018 एव 14.03.2018 को एक ही व क्रेता से टुकड़ों में किया गया था तथा उक्त को क्रय करने के लिए उत्तराखंड अधिप्रप्ति नियमावली के अनुसार ई प्रॉक्यूरमेंट प्रक्रिया नहीं अपनाई गयी थी।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा उत्तर दिया गया कि समस्त खरीद को टेशन प्राप्त कर समय समय पर की गयी है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार क्रय न करके टुकड़ों में क्रय किया गयाहै।अतः प्रस्तर को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

(ख) उतराखंड अधिप्राप्ति नियमावली ,2008 के नियम 42 (1) के अनुसार A group of works which forms one project shall be considered one work and technical administrative and financial approval from the competent authority should be taken as one work. The work should not be split just to avoid the procedure of getting the needed approval of the higher authority**.**

निदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व देहरादून के अभिलेखो की लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमामि गंगे के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में चूरानीगाड़ नाले में भूमि एव जल संरक्षण कार्य को 4 टुकड़ो में बाँट कर एक ही ठेकेदार से कराते हुए ₹9,73,000 का भुगतान किया गया तथा इसी प्रकार बिलकेशवर नाले में कार्यों को एक ही ठेकेदार को 12 टुकड़ो में ₹9,42,794 का भुगतान किया गया तथा प्रत्येक अवसर पर कार्य की सीमा ₹3.00 लाख से कम थी जिससे उक्त नियम के अनुसार उच्च अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं हुयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि एक ही नाले का उपचार अलग-अलग स्थानो पर कोटेशन के आधार पर कराया गया है। तथापि, निविदा पत्रो से स्पष्ठ है कि प्रत्येक कार्य को टुकड़ों में अनावश्यक रूप से विभाजित किया गया जिसका कोई औचित्य नहीं था।

अतः अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लघन कर ₹ 19.16 लाख मूल्य के कार्य को टुकड़ों में अनावश्यक रूप से कराये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 ब

प्रस्तर- 03 जमानत जमा न जमा कराया जाना ₹17.52 लाख।

कार्यालय निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून के जमानत जमा से संबन्धित प्राप्त सूचना की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों (सूची संलग्न) द्वारा बकाया जमानत धनराशि जमा नहीं की गयी है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि निर्धारित प्रतिभूति जमा करने हेतु शीघ्र ही आदेश जारी किये जायेंगे।

अतः प्रकरण, उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
179/2015-16	-	-	STAN-01
RS/FR-41/2017-18	01	02	-

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
11/2011-12	01,02	01
RS/FR-41/2017-18	01,02	01,02,03

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **निदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री सनातन	निदेशक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **निदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-64 वर्ष 2018-19

राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा

भाग-II 'अ' व भाग-II 'ब'

सभी आपत्तियां '' Revenue Recipt from forest Department '' की निष्पादन लेखापरीक्षा में सम्मलित कर ली गयी है।